न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:—21/2022
निर्णय दिनांक:—26.03.2024
बइजलासः— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1.शिवजीराम पुत्र माधो आयु 64 वर्ष जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
2.अमरनाथ पुत्र शिवजीराम आयु 28 वर्ष जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
3.अमित शर्मा पुत्र शिवजीराम आयु 24 वर्ष जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर ।

प्रतिवादी

उपस्थिति अधिवक्ताः— श्री बुद्धिप्रकाश शर्मा वकील वादी
श्री प्रेमचन्द शर्मा वकील वादी
पैरोकार सरकार
वाद घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः— 26.03.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि विवादगस्त **आराजी खतौनी सं0 721** के आराजी खसरा नम्बर 3859 कुल किता 1 कुल रकबा 0.4426 हैक्टेयर, **खाता संख्या 722 के** ख0न0 1466, 3794, 3795 कुल किता 3 कुल रकबा 0.3540 हैक्टेयर, **खाता संख्या 723 के** ख0न0 1647, 2195 कुल किता 2 कुल, रकबा 1.6692 हैक्टेयर, वादी सं01 का सम्पूर्ण हिस्सा, **खाता संख्या 724 के** ख0न0 1473, 1474, 1476, 1492, 1493, 1558, 1648, 1662, 1693, 1694, 1696, 2185, 2196, 2214, 2221, 3847, 3854, 3855, कुल किता 18 कुल रकबा 5.0454 हैक्टेयर, **खाता संख्या 725 के** ख0न0 2187 रकबा 2.0991 हैक्टेयर, **खाता संख्या 37 के** ख0न0 1995, 1996, 3290 कुल किता 3 कुल रकबा 2.7819 हैक्टेयर, हिस्सा 1/4, **खाता संख्या 622 के** ख0न0 1479 रकबा 0.2655 हैक्टेयर हिस्सा 1/3 खाता संख्या 37 ख0न01995, 1996, 3290 कुल किता 3 कुल रकबा 2.7819 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी

लगातार...................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू

उपखण्ड अधिकारी फागी सत्यमेव जयते जिला – दूदू

उत्तर तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। **खाता संख्या 655 के** ख0न0 740, 945 कुल किता 2 कुल रकबा 1.6945 हैक्टेयर हिस्सा सम्पूर्ण वादी सं01, **खाता संख्या 656 के** ख0न0 452/2, 454, 5647, 754, 770, 774, 806, 824, 926 कुल किता 9 कुल रकबा 4.7673 हैक्टेयर, **खाता संख्या 657 के** ख0न0 752, 765, 775, 805, 825, 826, 925, 934 कुल किता 8 कुल रकबा 1.1044 हैक्टेयर, **खाता संख्या 357** के ख0न0 773 रकबा 2.3140 हैक्टेयर, **खाता संख्या 226 के** ख0न0 5643 रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम पटवार हल्का फागी पश्चिम तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसका वादीगण अपने हिस्सेनुसार सरकारी लगान अदा करते हुये मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी सं01 को पिता माधो की मृत्यु पर उक्त आराजी का वादी सं01 के नामान्तकरण संख्या 6015 दिनांक 13.02.1973 में स्वीकृत हुआ उस समय वादी सं01 नाबालिक था, इसलिये घरेलू बोलता नाम श्योजी के नाम से नामान्तकरण स्वीकृत किया गया उसी अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में बदस्तूर चला आ रहा है, जबकि वादी सं01 का वास्तविक नाम शिवजीराम पुत्र माधो है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज, होना चाहिये था परन्तु शिवजीराम को श्योजी सामान्य बोलचाल में कहते थे इसलिये सहवन से विरासत का नामान्तकरण तस्दीक करते समय वादी सं01 का नाम शिवजीराम पु माधो के स्थान पर श्योजी पुत्र माधो कर दिया गया है इसलियें न्यायहित में श्योजी पुत्र माधो के स्थान पर शिवजीराम पुत्र माधो राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना आवश्यक है। शिवजीराम पुत्र माधो व श्योजी पुत्र माधो दोनों नामों का एक ही व्यक्ति है, इस नाम के अलावा इस ग्राम में इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। एवं वादी के राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, आदि से पूर्णतया सिद्व होता है कि वादी सं01 का नाम शिवजीराम पुत्र माधो ही है इसलिये वादी सं01 का नाम श्योजी पुत्र माधो के स्थान पर शिवजीराम पुत्र माधो राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादीगण उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरस्ती इन्द्राज करवाने के कानूनन अधिकारी है। नामान्तकरण संख्या 6015 दिनांक 13.02.1973 में हुई गलती की वादी सं01 का नाम शिवजीराम की जगह श्योजी दर्ज हो गया इसी कारण वादी सं01 की माता मगदू देवी की मृत्यु पर वादी सं02 व 3 के हिस्से में नामान्तकरण संख्या 4669 दिनांक 12.01.2021 के मुताबिक भी वल्दियत नाम श्योजी दर्ज हो गयी जबकि वादी सं02 व 3 के सभी दस्तावेजात में पिता का नाम शिवजीराम शर्मा है इसलिये वादी सं02 व 3 को भी अमरनाथ, अमित पुत्रान श्योजी की जगह अरमनाथ, अमित पुत्रान शिवजीराम शर्मा मुताबिक रिकार्ड करवाये जानका कानूनी अधिकार है। राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादीगण को हर वर्ष काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है, तथा राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले लाभों से वचिंत होना पड रहा है। इसलिये वादीगण नाम दुरूस्ती के साथ

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

लगातार.......................3

घोषणा करवाने के अधिकारी है इसलिये उक्त वाद वादीगण को श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण का वाद कारण राजस्व कर्मचारियों की गलती से निरन्तर जारी है जो वर्तमान में भी जारी है, इसलिये वादीगण का वाद अंदर मियाद प्रस्तुत है। पक्षकारान की विवादित आराजीयात् मान्य न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से श्रीमान् न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे वाद पत्र का मद नम्बर 10 वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष वाद पत्र प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार श्योजी पुत्र माधों के स्थान पर शिवजीराम पुत्र माधो व वादी सं. 2 अमरनाथ पुत्र श्योजी के स्थान पर अमरनाथ पुत्र शिवजीराम व वादी सं. 3 अमित शर्मा पुत्र श्योजी के स्थान पर अमित पुत्र शिवजीराम किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कार्यालय ग्राम पंचायत फागी द्वारा प्राप्त लेटर पेड क्रमांक/ग्रा.पं.फागी/sp1/01/2021 दिनांक 16.11.2021 मे बताया कि ग्राम फागी निवासी श्योजी/माधो का दस्तावेजों में शिवजीराम/ माधो शर्मा है। श्योजी/माधो व शिवजीराम शर्मा/ माधो शर्मा एक ही व्यक्ति है। श्योजी/ माधो उर्फ शिवजीराम शर्मा/ माधो शर्मा का ग्रामीण बोल चाल की भाषा का नाम है। जबकि इनका शुद्ध अथवा सही नाम शिवजीराम शर्मा / माधो शर्मा है। अतः वादीगण का नाम श्योजी पुत्र माधों के स्थान पर शिवजीराम पुत्र माधो व वादी सं. 2 अमरनाथ पुत्र श्योजी के स्थान पर अमरनाथ पुत्र शिवजीराम व वादी सं. 3 अमित शर्मा पुत्र श्योजी के स्थान पर अमित पुत्र शिवजीराम किया जाना न्यायोचित बताया है।

साक्ष्य वादी हेतु वादी शिवजीराम पुत्र माधो व अमरनाथ शर्मा पुत्र शिवजीराम ने स्वंय के शपथ पत्र पेश किये जो शमिल मिसल किये गये तथा अपने शपथ मे वादीगण का वास्तविक नाम श्योजी पुत्र माधों के स्थान पर शिवजीराम पुत्र माधो , अमरनाथ पुत्र श्योजी के स्थान पर अमरनाथ पुत्र शिवजीराम व अमित शर्मा पुत्र श्योजी के स्थान पर अमित पुत्र शिवजीराम होना बताया है।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक प्रदर्श01 लगायज 12 जमाबन्दी सम्वत 2072 – 2075 वाके ग्राम फागी पश्चिम व फागी उत्तर की उक्त विवादग्रस्त आराजी मे वादीगण का नाम श्योजी पुत्र माधो, अमरनाथ पुत्र श्योज शर्मा, अमित शर्मा पुत्र श्योजी शर्मा दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

लगातार........................4

प्रदर्श 13 उक्त विवादग्रस्त आराजी वादी सं0 1 को जरिये विरासत नामान्तकरण सं0 6015 के द्वारा प्राप्त हुई है। वादी सं0 2 व 3 को उक्त विवादीत आराजी नामान्तकरण सं0 1594, 4669 के द्वारा प्राप्त हुई है। पत्रावली मे संलग्न वादीगण के दस्तावेजात मे वादीगण का नाम शिवजीराम पुत्र माधो, अमित शर्मा पुत्र शिवजीराम, अमरनाथ शर्मा पुत्र शिवजीराम अंकित है। ग्राम पंचायत फागी द्वारा दिनांक 16.11.2021 को जारी प्रमाण पत्र मे भी शिवजीराम पुत्र माधो शर्मा व श्योजी पुत्र माधो एक ही व्यक्ति होना बताया है। तहसीलदार फागी द्वारा अपने जबाब मे श्योजी पुत्र माधो के स्थान पर शिवजीराम पुत्र माधो व वादी सं0 2 अमरनाथ पुत्र श्योजी के स्थान पर अमरनाथ पुत्र शिवजीराम व वादी सं0 3 अमित शर्मा पुत्र श्योजी के स्थान पर अमित पुत्र शिवजीराम दुरूस्त किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मे भी अपना सही नाम कमश शिवजीराम पुत्र माधो, अमित पुत्र शिवजीराम, अमरनाथ पुत्र शिवजीराम होने का कथंन किया है।

उपरोक्त तथ्यो एवं तहसीलदार फागी द्वारा भिजवाई गई अभिशंषात्मक रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादीगण का सही नाम कमश शिवजीराम पुत्र माधो, अमित पुत्र शिवजीराम, अमरनाथ पुत्र शिवजीराम होना प्रतीत है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे न्यायालय वादीगण का वाद डिकी किया जाना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादगरत्त आराजी **खतौनी सं0 721** के आराजी खसरा नम्बर 3859 कुल किता 1 कुल रकबा 0.4426 हैक्टेयर, **खाता संख्या 722 के** ख0न0 1466, 3794, 3795 कुल किता 3 कुल रकबा 0.3540 हैक्टेयर, **खाता संख्या 723 के** ख0न0 1647, 2195 कुल किता 2 कुल, रकबा 1.6692 हैक्टेयर, **खाता संख्या 724 के** ख0न0 1473, 1474, 1476, 1492, 1493, 1558, 1648, 1662, 1693, 1694, 1696, 2185, 2196, 2214, 2221, 3847, 3854, 3855, कुल किता 18 कुल रकबा 5.0454 हैक्टेयर, **खाता संख्या 725 के** ख0न0 2187 रकबा 2.0991 हैक्टेयर, **खाता संख्या 37 के** ख0न0 1995, 1996, 3290 कुल किता 3 कुल रकबा 2.7819 हैक्टेयर, **खाता संख्या 622 के** ख0न0 1479 रकबा 0.2655 हैक्टेयर, संख्या 37 ख0न01995. 1996, 3290 कुल किता 3 कुल रकबा 2.7819 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी व **खाता संख्या 655 के** ख0न0 740, 945 कुल किता 2 कुल रकबा 1.6945 हैक्टेयर, **खाता संख्या 656 के** ख0न0 452/2, 454, 5647, 754, 770, 774, 806, 824, 926 कुल किता 9 कुल रकबा 4.7673 हैक्टेयर, **खाता संख्या 657 के** ख0न0 752, 765, 775, 805, 825, 826, 925, 934 कुल किता 8 कुल रकबा 1.1044 हैक्टेयर, **खाता संख्या 357 के** ख0न0 773 रकबा 2.3140 हैक्टेयर, **खाता संख्या 226 के** ख0न0 5643 रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–टूंक

लगातार......................5

तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन श्योजी पुत्र माधो के स्थान पर शिवजीराम पुत्र माधो, अमित पुत्र श्योजी के स्थान पर अमित शर्मा पुत्र शिवजीराम, अमरनाथ पुत्र श्योजी के स्थान पर अमरनाथ पुत्र शिवजीराम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादी को अपने राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जिला – दूदू

26/3/24
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू
फागी जिला दूदू

सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

शिवजीराम पुत्र माधो जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर वगै0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला – दूदू

::– वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती ::–

मु0न0:– 21 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादीगण श्री बुद्धिप्रकाश शर्मा हाजिर रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त **आराजी खतौनी सं0 721** के आराजी खसरा नम्बर 3859 कुल किता 1 कुल रकबा 0.4426 हैक्टेयर, **खाता संख्या 722 के** ख0न0 1466, 3794, 3795 कुल किता 3 कुल रकबा 0.3540 हैक्टेयर, **खाता संख्या 723 के** ख0न0 1647, 2195 कुल किता 2 कुल, रकबा 1.6692 हैक्टेयर, **खाता संख्या 724 के** ख0न0 1473, 1474, 1476, 1492, 1493, 1558, 1648, 1662, 1693, 1694, 1696, 2185, 2196, 2214, 2221, 3847, 3854, 3855, कुल किता 18 कुल रकबा 5.0454 हैक्टेयर, **खाता संख्या 725 के** ख0न0 2187 रकबा 2.0991 हैक्टेयर, **खाता संख्या 37 के** ख0न0 1995, 1996, 3290 कुल किता 3 कुल रकबा 2.7819 हैक्टेयर, **खाता संख्या 622 के** ख0न0 1479 रकबा 0.2655 हैक्टेयर, संख्या 37 ख0न01995. 1996, 3290 कुल किता 3 कुल रकबा 2.7819 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी व **खाता संख्या 655 के** ख0न0 740, 945 कुल किता 2 कुल रकबा 1.6945 हैक्टेयर, **खाता संख्या 656 के** ख0न0 452 / 2, 454, 5647, 754, 770, 774, 806, 824, 926 कुल किता 9 कुल रकबा 4. 7673 हैक्टेयर, **खाता संख्या 657** के ख0न0 752, 765, 775, 805, 825, 826, 925, 934 कुल किता 8 कुल रकबा 1. 1044 हैक्टेयर, **खाता संख्या 357 के** ख0न0 773 रकबा 2.3140 हैक्टेयर, **खाता संख्या 226 के** ख0न0 5643 रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन श्योजी पुत्र माधो के स्थान पर शिवजीराम पुत्र माधो, अमित पुत्र श्योजी के स्थान पर अमित शर्मा पुत्र शिवजीराम, अमरनाथ पुत्र श्योजी के स्थान पर अमरनाथ पुत्र शिवजीराम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादी को अपने राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा।

निज **Nil** मुबलिग **Nil** .बाबत **Nil** खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह **Nil** फीसदी **Nil** सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक **Nil** .का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.03.2024 को जारी की गई।

26/3/24

हस्ताक्षर.................. उपखण्ड अधिकारी फागी,जिला–दूदू

मुहर

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला – दूदू सत्यमेव जयते

ओहदा....................

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान		Nil	फीस कमीश्नर		Nil
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

26/3/24

उपखण्ड अधिकारी फागी,जिला–दूदू